



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110017

वेबसाइट: www.derc.gov.in टेली : 41080416-17

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी), दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (डेटा) और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है। डीईआरसी को दिल्ली की विद्युत उपयोगिताओं और उनके संचालन को विनियमित और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है, जिसमें दिल्ली की वितरण कंपनियों जैसे टीपीडीडीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और एनडीएमसी द्वारा बि

जली की आपूर्ति शामिल है।

दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन जारी करने सहित बिजली की सुचारू और उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, डीईआरसी ने (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक)/आपूर्ति संहिता विनियम, 2017 तैयार किये हैं, जिन्हें <https://www.derc.gov.in/> पर देखा जा सकता है। अन्य प्रावधानों के अलावा, उक्त आपूर्ति संहिता में निर्दिष्ट औपचारिकताओं के पूरा होने पर दिल्ली के उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों द्वारा बिजली कनेक्शन आसानी से और समय पर जारी किए जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधानों को जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

क. कार्य करने में आसानी/डिस्कॉम द्वारा नए बिजली कनेक्शन जारी करना:

आपूर्ति संहिता का प्रावधान	संक्षिप्त विवरण	उपभोक्ताओं के लिए आसानी और सुविधा
जिस संपत्ति में नए कनेक्शन की आवश्यकता है, वहां कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।	डिस्कॉम द्वारा बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व-कनेक्शन साइट विजिट के ही जारी किया जाएगा, जिसके लिए डिस्कॉम अधिकारी को अपनी संपत्ति का दौरा करने के आवश्यकता नहीं होगी।	कनेक्शन देने से पहले निरीक्षण के लिए वितरण कंपनियों का कोई भी अधिकारी उपभोक्ताओं के परिसर पर नहीं जाएगा।
नए कनेक्शन के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं।	वितरण कंपनियों से नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करते समय आपको कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।	उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिलने के बाद पहले बिल के माध्यम से ही शुल्क का भुगतान करना होगा।
आंतरिक वायरिंग की जांच के संबंध में केवल विद्युत ठेकेदार स्वयं द्वारा की गई घोषणा।	उपभोक्ता एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करते हैं कि आंतरिक वायरिंग का परीक्षण एक लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार (एलईसी) द्वारा किया गया है।	नए कनेक्शन प्रदान करने की पूर्व शर्त के रूप में एलईसी द्वारा जारी परीक्षण प्रमाण पत्र के वितरण कंपनियों के अधिकारी द्वारा निरीक्षण या सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।
नए कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क डीईआरसी के अनुसूची के अनुसार ही होंगे।	नए कनेक्शन के लिए शुल्क डीईआरसी के शुल्क अनुसूची आदेश के अनुसार निर्धारित हैं। वितरण कंपनियां कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकतीं।	वितरण कंपनियों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने से रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

ख. वितरण कंपनियों द्वारा आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने की शिकायत संबंधित सीजीआरएफ से की जा सकती है:

यदि दिल्ली की वितरण कंपनियां (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) के उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं करती हैं, तो पीड़ित उपभोक्ता, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) में शिकायत/ प्रतिनिधित्व दर्ज करा सकते हैं, जिनका गठन वितरण कंपनियों के अनुसार किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

- (i) **सीजीआरएफ - बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)** सब-स्टेशन बिल्डिंग, सेक्टर -V, पुष्प विहार, नई दिल्ली - 110017 ईमेल: cgrfbrpl@gmail.com
- (ii) **सीजीआरएफ - बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)** सब- स्टेशन बिल्डिंग, पहली मंज़िल बीएसईएस कॉर्पोरेट ऑफिस के बगल में, कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास, कड़कड़डूमा, दिल्ली - 110032 ईमेल: cgrfbypl@hotmail.com
- (iii) **सीजीआरएफ - टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)** सब-स्टेशन बिल्डिंग, पुलिस कॉलोनी, मॉडल टाउन-II, नई दिल्ली -110009, ईमेल: ecgrftpddl@gmail.com
- (iv) **सीजीआरएफ - नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी)** दुकान संख्या 67-68 और 71-73, शहीद भगत सिंह प्लेस, गोल मार्केट, नई दिल्ली - 110001 ईमेल: ecgrfndmc@gmail.com

ग. सीजीआरएफ के आदेश के विरुद्ध अपील:

यदि उपभोक्ता सीजीआरएफ के आदेश/निर्देशों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह विद्युत लोकपाल कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं, जिसका पता है : विद्युत लोकपाल, बी - 53, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 ईमेल: elect_ombudsman@yahoo.com

घ. सीजीआरएफ और लोकपाल के आदेशों का अनुपालन न करना:

यदि संबंधित सीजीआरएफ और विद्युत लोकपाल के आदेशों/निर्देशों का संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, तो बिजली उपभोक्ता उक्त अधिनियम के अंतर्गत दोषी वितरण कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत डीईआरसी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

जनहित में जारी किया गया :

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017

टेलिफोन: 011-41080416-17 वेबसाइट: www.derc.gov.in